Rcmsnr. 2018/01076

राजस्व लोक अदालत केम्प कल्याणपुर तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा न0 32 / 2018

अपीलांण्टगण बनाम रेस्पोडेन्ट

अपीलांण्टगण	रेस्पोडेन्ट
1. जीवाराम पुत्र ओखाराम चौधरी सा. असरावा उडों	1. हीराराम , 2 गणपतराम, जोधाराम 4. करनाराम पुत्र देवाराम 5. पूनीदेवी पत्नि देवाराम चौधरी, 6. ग्राम पंचायत कल्याणपुर 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्व

आदेश दिनांकः–28.05.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत कल्याणपुर में प्रस्तुत की गई है।

सक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मूल ग्राम कल्याणपुर के खसरा न0 पुराना 363 नया 1062 / 363 – 42.07 वीघा की भूमि व जरिये पंजीयन उपंजीयन पचपदरा के दस्तावेज संख्या 804 / 76 दिनांक 24.01.1977 को देवाराम, जीवाराम पुत्र ओखाराम पिटल द्वारा असरावा उडों के खेत को क्रय किया गया था। जिसका नामान्तरकरण संख्या 602 पटवारी कल्याणपुर द्वारा दर्ज करते समय देवाराम का नाम दर्ज किया व अपीलाण्ट जीवाराम का नाम दर्ज करने से रह गया। देवाराम के फौत होने पर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 क नाम नामन्तरकरण संख्या 2418 द्वारा दर्ज किया गया। अपीलाण्ट का नाम दर्ज होने से रह गया । अपीलाण्ट अपना नाम पंजीयन दस्तावेज अनुसार 1/2 हिस्सा में दर्ज करने हेतु निवेदन किया है। उक्त अपील प्रकरण के संबंध मे पटवारी/आरआई/तहसीलदार पचपदरा की संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त की गई उक्त रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट का नाम जीवाराम पुत्र ओखाराम नाम पंजीयन दस्तावेज अनुसार 1/2 हिस्सा में दर्ज करने की सिफारिश की है।

अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत ब्यानकर्ता राधादेवी, करनाराम, हीराराम, जोधाराम, पूनीदेवी, गणपतराम व प्रस्तुत दस्तावेज व पटवारी कल्याणपुर /आरआइ कल्याणपुर/ तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रसतुत दस्तावेज, आधार कार्ड, राशनकार्ड., पहचान पत्र

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प....................

Scanned by CamScanner

की रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट का राजस्व रेकर्ड मे नाम जीवाराम पुत्र ओखाराम नाम पंजीयन दस्तावेज अनुसार 1/2 हिस्सा में दर्ज किया जाएं

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अपीलान्टगण को सुना गया। मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। समस्त विवेचन क आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर ग्राम कल्याणपुर के खेत खसरा खसरा न0 पुराना 363 नया 1062/363 – 42.07 बीघा में जीवाराम पुत्र ओखाराम का नाम पंजीयन दस्तावेज अनुसार 1/2 हिस्सा मे दर्ज किया जाने के आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिया जाता है। शेष 1/2 हिस्सा रेसपोडन्ट संख्या 1 ता 5 का यथावत रहेगा।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......................

Scanned by CamScanner